न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 14/2013 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये लक्ष्मीकान्त गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 12 थाने के पीछे बांदीकुई विक्रेता व मालिक मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा।
2. मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा।
3. मैसर्स शान्ति सेल्स, बस स्टैण्ड के पास, अलवर।
4. श्री कमल कुमार झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
5. श्रीमति दीपाली झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
6. श्री राजन झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
7. मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।
8. श्वेता झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।
9. श्री रोबिन झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।
10. श्री कमल किशोर झीरीवाल, निवासी सी–783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (2)(II) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री रामकिशोर सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 लगा0 10 उपस्थित।

—: निर्णयः— दिनांकः— 4.7.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 22.10.2011 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/एफ0एस0एस0/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 549 दिनांक 06.09.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्याय निर्णायक आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.9.2012 को समय 02.00 बजे संयुक्त दल के साथ विक्रेता व मालिक राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा सुपारी मामा ब्राण्ड के पाउच लगभग 5 किलो में

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते दो किलो मामा सुपारी के पाउच खरीदे। जिसकी कीमत 330 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की तथा विक्रेता ने उक्त माल खरीद का बिल नं0 735 दिनांक 22.9.2012 के द्वारा मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड के पास अलवर से खरीदना बताया एवं बिल की छाया प्रति मय हस्ताक्षर प्रस्तुत की। मैसर्स शान्ति सेल्स को क्रमांक एफएसएसए/12/8174 दिनांक 17.11.2012 व क्रमांक 481 दिनांक 23.9.12 के रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर उक्त माल खरीद का विवरण व मैसर्स में भागीदारो की सूचना मांगी, जिसमे विक्रेता उक्त माल खरीद का बिल मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85 शिवाजी पार्क अलवर के बिल क्रमांक 104 दिनांक 22.9.2012 के द्वारा खरीद बिल की छायाप्रति उपलब्ध करवाई, जिसके फलस्वरूप आर.आर. झीरीवाल को पत्र लिखकर भागीदारों की सूची मांगी जो की टीन नम्बर की कापी, खाद्य अनुज्ञा पत्र डाके के द्वारा भिजवाया। जिसके तहत सभी भागीदारो को पार्टी बनाया गया है।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जो गवाहों ने पढकर सुनकर समझकर सही मानते हुये हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता ने पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की प्रति विक्रेता राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म 5 ए व फर्द रिपोर्ट मूल ही आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सुपारी मामा दो किलों को विक्रेता को चार साफ खाली कागज के गत्ते के डिब्बों में डालकर बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक गत्ते के डिब्बो पर लेबल चिपकाये लेबल पर कोड क्रमांक एजी–481 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप एजी–481 नीचे से उपर चिपकायी एवं धागे से बांधकर नियमानुसार चारों नमूना बोतलो पर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये एवं गवाहान से हस्ताक्षर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म न0 6 की प्रति अलग एक लिफाफे में सील चपडी कर जमा करवाकर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर फार्म नं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/12/7728 दिनांक 17.10.12 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएसए/एलएस/2191/एक्ट/2012/1462 दिनांक 10.10.12 नमूना मामा सुपारी मिसब्राण्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ मामा सुपारी में तथा उसके नमूनों में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने को एफएसएसए के नियम 2.2. 2(7) लेबलिंग एण्ड पैकिंग रेगुलेशन 2011 के आधार पर नेट वैट अंकित नहीं किया हुआ मानकर उक्त मामा सुपारी के नमूने को मिसब्राण्ड घोषित किया है जबकि अन्य समस्त विवरण अंकित किया हुआ है। एफएसएसए के पैकिंग एण्ड लेबलिंग के नियम 2.6.1 में यह स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि यदि 100 स्कवायर सेन्टीमीटर से अधिक के पाउच बने हुये हो तभी सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। इससे छोटे स्कवायर सेन्टीमिटर के पाउचो पर अधिनियम के नियमो में सम्पूर्ण विवरण की छूट दी गई है। जबकि प्रार्थी के पाउच मात्र स्कवायर सेन्टीमीटर के ही है जो उक्त छूट की श्रेणी में उक्त नियम के अन्तर्गत आते है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण से दोषमुक्त फरमाया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 14/2013 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज0 जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसए/एलएस/2191/एक्ट/2012/1462 दिनांक 10.10.12 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा के नमूने पर नेट वेट अंकित नहीं किये जाने के कारण मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए के नियम 2.2.2(7) लेबलिंग एण्ड पैकिंग रेगुलेशन 2011 एवं एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सुपारी मामा मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से एफएसएसए के नियम 2.2.2(7) लेबलिंग एण्ड पैकिंग रेगुलेशन 2011 एवं एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 लगायत 10 पर 7000/-(अक्षरे सात हजार रूपये) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 4.07.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/10059-10069
दिनांकः-4.07.2018

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 12 थाने के पीछे बांदीकुई विक्रेता व मालिक मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा।
4. मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र कुमार गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा।
5. मैसर्स शान्ति सेल्स, बस स्टैण्ड के पास, अलवर।
6. श्री कमल कुमार झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
7. श्रीमति दीपाली झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
8. श्री राजन झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स शान्ति सेल्स बस स्टैण्ड अलवर।
9. मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।
10. श्वेता झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।
11. श्री रोबिन झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।

श्री कमल किशोर झीरीवाल, निवासी सी-783, बुद्ध विहार, अलवर भागीदार मैसर्स आर.आर. झीरीवाल, 85, शिवाजी पार्क अलवर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा